भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1126

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

एक राष्ट्र एक चुनाव

1126. श्री एंटो एन्टोनी :

श्री सु. थिरुनवुक्करासर :

एडवोकेट अदूर प्रकाश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के कार्यान्वयन की जांच करने/संभावना का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की है जिससे कि संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराये जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की संरचना और इसके प्रस्तावित कार्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उच्चस्तरीय समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) एक राष्ट्र एक चुनाव कराने के प्रमुख लाभ और हानियां क्या हैं ;

(ङ) क्या समिति इस संबंध में राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों से संपर्क करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या सरकार ने समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : सरकार ने संकल्प संख्या एच-11019/03/2023-वि.2, तारीख 02 सितंबर, 2023 द्वारा, श्री राम नाथ कोविन्द, भारत के पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है । समिति की संरचना, उसके निबंधन और शर्तें तथा अन्य संबंधित सूचना **उपाबंध-क** पर है । समिति के एक सदस्य श्री अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है ।

****

उपाबंध - क

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092023-248519
CG-DL-E-02092023-248519

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2, 2023/भाद्र 11, 1945
No. 211] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2, 2023/BHADRA 11, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2023

फा.सं. एच-11019/03/2023-वि.-2.—वर्ष 1951-52 से वर्ष 1967 तक लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन अधिकांशतः साथ-साथ कराए गए थे और इसके पश्चात् यह चक्र टूट गया और अब, निर्वाचन लगभग प्रत्येक वर्ष और एक वर्ष के भीतर विभिन्न समय पर भी आयोजित किए जाते हैं, जिसका परिणाम सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा बहुत अधिक व्यय, ऐसे निर्वाचनों में लगाए गए सुरक्षा बलों और अन्य निर्वाचन अधिकारियों की उनकी महत्वपूर्ण रूप से लंबी कालावधि के लिए अपने मूल कर्तव्यों से भिन्न अन्यत्र तैनाती, आदर्श आचार संहिता, आदि के लंबी अवधि तक लागू रहने के कारण, विकास कार्य में दीर्घ अवधियों के लिए व्यवधान के रूप में होता है ;

और भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों में सुधार पर अपनी 170 वीं रिपोर्ट में यह संप्रेक्षण किया है कि : "प्रत्येक वर्ष और बिना उपयुक्त समय के निर्वाचनों के चक्र का अंत किया जाना चाहिए । हमें उस पूर्व स्थिति का फिर से अवलोकन करना चाहिए जहां लोक सभा और सभी विधान सभाओं के लिए निर्वाचन साथ-साथ किए जाते हैं । यह सत्य है कि हम सभी स्थितियों या संभाव्यताओं के विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं या उनके लिए उपबंध नहीं कर सकते हैं, चाहे अनुच्छेद 356 के प्रयोग के कारण (जो उच्चतम न्यायालय के एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के विनिश्चय के पश्चात्

सारवान् रूप से कम हुआ है) या किसी अन्य कारण से उत्पन्न हो सकेंगी, किसी विधान सभा के लिए पृथक निर्वाचन आयोजित करना एक अपवांद होना चाहिए न कि नियम । नियम यह होना चाहिए कि 'लोक सभा और सभी विधान सभाओं के लिए पांच वर्ष में एक बार में एक निर्वाचन' ।"। ;

और कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने 'लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की साध्यता' पर दिसम्बर 2015 में प्रस्तुत अपनी 79वीं रिपोर्ट में भी इस मामलें की जांच की है और दो चरणों में साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की एक वैकल्पिक और व्यवहार्य विधि की सिफारिश की है ;

अतः अब पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय हित में साथ-साथ निर्वाचन कराना वांछनीय है, भारत सरकार साथ-साथ निर्वाचनों के मुद्दे की जांच करने और देश में एक साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति [जिसे इसमें इसके पश्चात् 'एचएलसी' कहा गया है] का गठन करती है ।

1. एचएलसी निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

1.	श्री राम नाथ कोविंद, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति	अध्यक्ष
2.	श्री अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, भारत सरकार	सदस्य
3.	श्री अधीर रंजन चौधरी, विपक्ष में सबसे बड़े एकल दल के नेता, लोक सभा	सदस्य
4.	श्री गुलाम नबी आजाद, विपक्ष के भूतपूर्व नेता, राज्य सभा	सदस्य
5.	श्री एन. के. सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग	सदस्य
6.	डॉ. सुभाष सी. कश्यप, पूर्व महासचिव, लोक सभा	सदस्य
7.	श्री हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता	सदस्य
8.	श्री संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त	सदस्य

2. श्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), विधि और न्याय मंत्री, भारत सरकार, विशेष आमंत्रिती के रूप में एचएलसी की बैठकों में भाग लेंगे ।

3. श्री नितेन चंद्र, सचिव, भारत सरकार, विधि कार्य विभाग, एचएलसी के सचिव होंगे ।

4. एचएलसी के निबंधन और निर्देश निम्नलिखित होंगे—

(क) भारत के संविधान और अन्य कानूनी उपबंधों के अधीन विद्यमान ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने की जांच करना और सिफारिश करना तथा उस प्रयोजन के लिए संविधान, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तद्धीन बनाए गए नियमों तथा किसी अन्य विधि या नियमों, जिनमें साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के प्रयोजन के लिए संशोधनों की अपेक्षा होगी, उसकी जांच करना और विशिष्ट संशोधन करने के लिए सिफारिश करना ;

(ख) यदि संविधान के संशोधन राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की अपेक्षा करते हों तो उसकी जांच और सिफारिश करना ;

(ग) त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव को अंगीकार करने या दल-बदल या ऐसी किसी अन्य घटना के कारण साथ-साथ निर्वाचनों के परिदृश्य में संभव समाधान के लिए विश्लेषण और सिफारिश करना ;

(घ) निर्वाचनों को साथ-साथ करने के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देना और विशिष्टतया, यदि उन्हें साथ-साथ आयोजित नहीं किया जा सकता है, तो चरणों और समय-सीमा, जिसमें निर्वाचनों को साथ-साथ आयोजित किया जा सकता है, का सुझाव देना और संविधान और अन्य विधियों में इस संबंध में किन्हीं संशोधनों का भी सुझाव देना तथा ऐसे नियमों का प्रस्ताव करना, जो ऐसी परिस्थितियों में अपेक्षित हों ;

(ङ) साथ-साथ निर्वाचनों के चक्र की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना और संविधान में आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना, जिससे साथ-साथ निर्वाचनों का चक्र बाधित न हो ;

(च) इस प्रकार, साथ-साथ निर्वाचन आयोजित करने के लिए, अपेक्षित लॉजिस्टिक और जनशक्ति की जांच करना, जिसके अंतर्गत ईवीएम, वीवीपीएटी, आदि सम्मिलित हैं ;

(छ) लोक सभा, राज्य विधान सभाओं, नगरपालिकाओं और पंचायतों के निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की पहचान करने के लिए एकल निर्वाचक नामावली और निर्वाचक पहचान-पत्रों के उपयोग की जांच करना और उसके तरीकों की सिफारिश करना ।

5. एचएलसी, तुरंत कार्य करना आरंभ करेगी और यथाशीघ्र सिफारिशें करेगी ।

6. एचएलसी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

7. एचएलसी अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए और अन्य सुसंगत कृत्यों के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का विनिश्चय कर सकेगी ।

8. एचएलसी, सभी व्यक्तियों, प्रतिवेदनों और संसूचनाओं, जो एचएलसी की राय में उसके कार्य को सुकर बनाएंगी तथा उसे अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में समर्थ बनाएंगी, उनकी सुनवाई कर सकेगी और उनसे विचार-विमर्श कर सकेगी ।

9. एचएलसी के अध्यक्ष और सदस्यों को नीचे दिए अनुसार भत्ते संदत्त किए जाएंगे--

(क) एचएलसी का अध्यक्ष ऐसे भत्तों का हकदार होगा, जो राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951 में यथा उपबंधित है ;

(ख) एचएलसी के सदस्य, जो संसद् के सदस्य हैं, ऐसे भत्तों के हकदार होंगे, जो संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (क) में यथा परिभाषित है ;

(ग) एचएलसी के सभी अन्य सदस्य उच्चतम श्रेणी के सरकारी सेवकों को लागू दर और नियमों के अनुसार यात्रा भत्ते के हकदार होंगे ।

10. विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, एचएलसी को कार्यालय स्थान, अनुसचिवीय सहायता और अन्य लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा ।

11. एचएलसी के व्यय की पूर्ति सरकार द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के सुसंगत बजट शीर्ष के अधीन पृथक् बजटीय आबंटन से की जाएगी ।

डा. रीटा वशिष्ट, सचिव